

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019


जयपुर, दिनांक : 13.05.19

आदेश

डा. अमिता दीक्षित (बिरला), प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी), जिला चिकित्सालय, रामपुरा कोटा हाल राजकीय डिस्पेन्सरी, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली (कार्य व्यवस्थार्थ) द्वारा प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर डा. अमिता दीक्षित(बिरला) को तुरन्त प्रभाव से एतद द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा किया जाता है।

पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा अवधि में इनका मुख्यालय निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 2- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय ।
- 3- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- 4- संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ. 4(2)0प्रथम/निर्वा./2019/5735 दिनांक 04.05.19 के क्रम में सूचनार्थ ।
- 5- जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) कोटा को उनके पत्रांक लो.स.चु/एमएमसी प्रकोष्ठ/2019/183-184 दिनांक 25.04.19 के क्रम में ।
- 6- निदेशक, जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ।
- 7- संयुक्त निदेशक, जोन कोटा/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा ।
- 8- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रामपुरा कोटा ।
- 9- प्रभारी अधिकारी, राजकीय डिस्पेन्सरी, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली ।
- 10- डा. अमिता दीक्षित (बिरला), प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी), जिला चिकित्सालय, रामपुरा कोटा हाल राजकीय डिस्पेन्सरी, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली (कार्य व्यवस्थार्थ) को द्वारा निदेशक(जनस्वा.) ।
- 11- कम्प्यूटर सेल
- 12- निजी /रक्षित पत्रावली



(ओ0 पी0 वर्मा)

शासन सहायक सचिव